5 COURT FEE 5 भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

5 COURT FEE 5 भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

5 COURT FEE 5 भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

25

C-F13151 न्यायालय राजस्वमण्डल म.प्र. ग्वालियर जिला अशोकनगर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रं. /04

रिव्यू 1384-I/2004

श्री के.के. द्विवेदी एडवोकेट द्वारा आज दि. 23/10/04 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

23 OCT 2003

शिशुपाल पुत्र राजाराम
निवासी ग्राम जाजनखेडी तह. ईसागढ
जिला गुना (म.प्र.) (वर्तमान अशोकनगर)

..आवेदक

विरूद्ध

1. ग्यारसा पुत्र बिहारीलाल
2. वर्द्धमान पुत्र बिहारीलाल

दोनों निवासीगण ग्राम जाजनखेडी
तहसील ईसागढ जिला गुना (म.प्र.)
(वर्तमान जिला अशोकनगर)

.. अनावेदकगण

K. K. DWIVEDI Advocate 23.10.04

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 342-III/04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5.10.04 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्निवलोकन ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है कि:-

1. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कुछ ऐसी भूले है जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

2. यह कि, आवेदक द्वारा उनके पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई आपत्तियां पर विचार एवं विनिश्चयन नहीं किया गया है अत: इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

क्रं.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1384–एक/2004 जिला –अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
7 –04–16	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 342–तीन/2004 आदेश दिनांक 05.10.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1384–एक/2004 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 342–तीन/2004 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 05.10.2004 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 1384–एक/2004 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य